

SPECIAL MENTIONS

Need to establish Circle Office of Archaeological Survey of India (ASI) in Tripura

MR. CHAIRMAN: Now, I will take up Special Mentions. Shri Biplab Kumar Deb.

श्री बिप्लब कुमार देब (त्रिपुरा): सर, मैं सबसे पहले माननीय सभापति महोदय को प्रणाम करता हूँ और साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि राज्य सभा में मैं नया आया हूँ और आज मेरा पहला दिन है। हाउस में जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, आप सभी का मैं अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, like you, it is also my first day and we both must set very high standards. So we will avail the opportunity on some other occasion. Right now, confining only to the text...

SHRI BIPLAB KUMAR DEB: Okay, Sir.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

श्री बिप्लब कुमार देब : सर, मैं त्रिपुरा के सम्बंध में अपनी बात उठाना चाहता हूँ।

MR. CHAIRMAN: You will have to read out the text.

श्री बिप्लब कुमार देब: महोदय, राष्ट्रीय धरोहर के रूप में त्रिपुरा में विश्वप्रसिद्ध माँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर के अलावा उनाकोटि, पिलक, भुवनेश्वरी मंदिर और बॉक्सनगर सरीखे अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक स्थल हैं, जो राज्य के पर्यटन को चार चांद लगा सकते हैं। इनकी देख-रेख का जिम्मा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) के पास है। संस्था अपना काम बखूबी कर रही है, मगर राज्य में इसका सर्कल कार्यालय न होने की वजह से कई बार कम्युनिकेशन गैप की स्थिति उत्पन्न होती है। अगरतला में ए.एस.आई. का सर्कल ऑफिस होने से इन स्थलों के विकास और प्रचार-प्रसार में राज्य के साथ सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा राज्य में स्थित पुरातात्विक महत्व के अन्य स्थानों के अन्वेषण और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अन्य पौराणिक स्थलों को खोजने और विकसित करने में भी सहायता मिलेगी।

महोदय, आज प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में समूचे नॉर्थ-ईस्ट का विकास हो रहा है। उनके मार्गदर्शन में त्रिपुरा सरकार भी प्राथमिकता पर राज्य के सांस्कृतिक और पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण व उन्हें संवारने का कार्य कर रही है। पुरातात्विक महत्व के स्थलों के संरक्षण एवं सांस्कृतिक विकास से त्रिपुरा में पर्यटन क्षेत्र का विकास होगा। श्री मोदी जी के

नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार त्रिपुरा के पर्यटन को विश्व मानचित्र पर स्थापित करने के लिए प्रयासरत है, इसलिए राज्य में ए.एस.आई सर्कल कार्यालय की स्थापना से प्रदेश के पुरातात्विक महत्व के स्थलों के संपूर्ण विकास और उनके संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा, जो नॉर्थ-ईस्ट क्षेत्र को भारत की 'अष्टलक्ष्मी' के रूप में स्थापित करने में मददगार साबित होगा।

महोदय, अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि त्रिपुरा में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्कल कार्यालय की स्थापना की जाए।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I too associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I too associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I too associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: Shri Sujeet Kumar, not present. Shri Sandosh Kumar P.

Need for enacting a law to prohibit black magic and superstitions

श्री संदोष कुमार पी. (केरल) : महोदय, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51ए वैज्ञानिक स्वभाव के विकास को हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य बनाता है, इसके बाद भी देश के सभी हिस्सों से काले जादू और जादू-टोने की खबरें बड़ी संख्या में आती हैं। ऐसी कुप्रथाओं के कारण अनेक नागरिकों की मृत्यु तक होती है। ये कुप्रथाएं संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त जीवन के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन करती हैं। साल 2021 की राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, मानव बलि के कारण 6 जानें गईं, जबकि जादू-टोना 68 हत्याओं का कारण बना। साल 2020 में जादू-टोने के कारण 88 मौतें हुईं और 11 हत्याएँ मानव बलि के रूप में हुईं। वर्तमान भारतीय दंड संहिता काले जादू और अन्य अंधविश्वासी प्रथाओं के कारण किये गये अपराधों को रोकने के लिए सक्षम नहीं है। हत्या की सजा देने वाली आईपीसी की धारा 302 भी मानव बलि का संज्ञान हत्या होने के बाद ही लेती है। भारत के कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, कर्णाटक, छत्तीसगढ़ आदि ने इन कुप्रथाओं से निपटने के लिए पहले ही कानून बना लिया है, परन्तु अभी भी ऐसा कोई केन्द्रीय कानून नहीं है, जो विशेष रूप से जादू-टोना, अंधविश्वास या तंत्र-मंत्र से संबंधित गतिविधियों के कारण किये गये अपराधों से निपटता हो। राष्ट्रीय स्तर के कानून के अभाव में काले